न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला

अभिलाष ... बनाम ...

प्रकरण संख्या ... 2020 अन्तर्गत धारा ...

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज
5/14	प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी स.3 के परिवाद पर प्रसंगीत कोर्ट को तलबी के पश्चीकृत परिवाद की डिलिवड रिपोर्ट पेश की शामिल मिसल रहे। अप्रार्थी स.3 के परिवाद को सक-2 कर 3 बार आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। अप्रार्थी स.3 के परिवाद के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आ.22 नि.45CPC स्वीकार किया जाता है, लाल स्याही से अंकन किया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RIA स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 21/12/2020 मूलवाद के निर्णय तक स्थायी की जाती है। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कायम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर